न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

पीठासीन अधिकारी — **रूक्मणि रियार सिहाग**
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
24/अपील/18	29.01.2018	09.10.2019

कंवरलाल आ. उदालाल, जाति गुर्जर,
निवासी ग्राम गादेगाल,
तहसील एवं जिला बून्दी

— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बून्दी

— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुद्ध अधिनियम ,1959

उपस्थित—

अपीलांट की ओर से श्री सुरेन्द्र नाराणीवाल, एडवोकेट
रेस्पो0 की ओर से लोक अभियोजक

निर्णय

यह अपील उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.2017 से अप्रसन्न होकर इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 52 आर्म्स रूल,1962 प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि अपीलांट को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 2626 को निलम्बित कर दिया गया है, जिसे बहाल किया जाने के आदेश दिये जाकर आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण किया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया।

सत्य प्रतिलिपि

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए तथा अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए व्यक्त किया कि अपीलांट के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 2626 स्वीकृत है, जिस प एक टोपीदार बन्दूक संख्या 8236 धारित है तथा यह अनुज्ञापत्र दिनां 31.12.2016 तक नवीनीकृत है। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा आगामी अवधि के लि उक्त अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु रेस्पोडेन्ट उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बून्दी यहां प्रस्तुत किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदे दिनांक 26.12.17 द्वारा लाईसेन्स निलम्बित कर दिया और लाईसे नवीनीकृत नहीं किया। अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण संख्या 30/11 किया गया था, उसमें न्यायालय द्वारा अपीलांट को दोषमुक्त कर दिया है और पुलिस थाना तालेडा द्वारा अपीलांट के अनुज्ञा पत्र को नवीनी करने की अनुशंषा की गई। है। जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी की अनु लाईसेंस रिन्यू नहीं करने बाबत बिना किसी कारण के की गई, ज अपीलांट के विरूद्ध कोई केस लम्बित नहीं है और न विवादित बंदूक किसी अपराध में अपीलांट द्वारा उपयोग किया गया है। अपीलांट गां एक इज्जतदार व मौत्तबिर व्यक्ति है, जिसके लाईसेंस को रिन्यू क कोई अडचन नहीं है। इस ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं और पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट बिना किसी कारण के होने पर भी आधार पर अनुज्ञा पत्र नवीनीकृत नहीं करने में भारी कानूनी त्रुटि है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बगैर आलौच्य आदेश करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानून त्रुटि की है। अ अपीलांट द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न का आदेश निरस्त किया जाने एवं अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र अवधि के लिए नवीनीकरण करने के आदेश प्रदान करने का निवेद गया।

लोक अभियोजक ने बहस के दोरान अपने तर्क प्रस्तुत व्यक्त किया कि आयुद्ध अधिनियम की धारा 17(3)(बी) के तहत लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अनुज्ञापत्र रिवोक किया जा जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी की रिपोर्ट अनुसार शस्त्र अनुधा विरूद्ध प्रकरण संख्या 39/11 धारा 430 आई.पी.सी. व 3 पी.डी. में दर्ज होकर चार्जशीट नं. 45 दिनांक 22.02.2011 कता न्यायालय में पेश किया गया, जो विचाराधीन न्यायालय होना इस प्रकार अनुधापत्रधारी के विरूद्ध विचाराधीन आपराधिक म रेकार्ड में दर्ज होने से उक्त अनुज्ञापत्र नवीनीकरण करने की की गई है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक

सत्य प्रतिलि

अति०प्रशासनिक
कलेक्ट्रेट, बू

न्यायालय ने पत्रावली तथा उस पर उपलब्ध दस्तावेजों क अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 2626 डीबीएमएल गन नम्बर 8236 को दिनांक 26.12.2017 को अनुज्ञापत्रधारी पर आपराधिक मामला दर्ज होने से जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी द्वारा नवीनीकरण की अनुशंषा नहीं किये जाने से निलम्बित किया जाना भलीभांति प्रकट होता है। यहां अपीलांट का तर्क है कि अपीलांट के विरूद्ध दर्ज उक्त मुकदमें में उस पर दोषसिद्ध नहीं हुये है, इसके बाद कोई आपराधिक मामला अपीलांट के विरूद्ध दर्ज नहीं हुआ है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश न्यायोचित नहीं है। अपीलांट का यह तर्क उचित प्रतीत नहीं होता हैं, क्योंकि आयुद्ध अधिनियम की धारा 17(3) एंव 17(3)(ए) के आधार पर लाईसेन्सधारी द्वारा अनुज्ञापत्र की शर्तो का उल्लंघन किया जाने अथवा उसके विरूद्ध आपराधिक मामले दर्ज होने पर अनुज्ञापत्र, लाईसेन्स ऑथोरिटी द्वारा रिवोक/ निलम्बित किया जा सकता है। अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण संख्या 39/11 धारा 430 आई.पी.सी. व 3 पी.डी.पी.पी. एक्ट में दर्ज होकर चार्जशीट नं. 45 दिनांक 22.02.2011 कता कर चालान न्यायालय में पेश किया जाना जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी की रिपोर्ट से प्रकट है। राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 16.8.05 मे भी यह निर्देश दिये गये है कि अनुज्ञप्तिधारी को दाण्डिक प्रकरण में संलिप्तता होने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही कर अनुज्ञापत्र को निलम्बित/रिवोक किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है। अपीलांट के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज रेकार्ड होने से इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि अपीलांट द्वारा शस्त्र का दुरूपयोग कर लोक शांति एवं कानून व्यवस्था को कभी भी प्रभावित किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश उचित होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 09.10.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट,बून्दी

सत्य प्रतिलिपि

अति०प्रशासनिक अधिकारी
कलेक्ट्रेट, बून्दी